

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ७] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी १, १९७३/पीव ११, १८९४

No. 7] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 1, 1973/PAUSA 11, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January 1973

S. O. 7 (E).—Whereas I. F. G. T. Menezes, have been authorised by the Vegetable Oil Products Controller for India under sub-clause (a) of clause 2 of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, to exercise the powers of the Controller under the said order :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 6 of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, read with the notification of the Govt. of India in the late Ministry of Food and Agriculture No. G. S. R. 882 dated the 24th September 1958, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture, Department of Food, No. S. O. 698 (E) dated the 9th November 1972, I hereby fix, with the prior concurrence of the Central Government, the Maximum prices at which vegetable

oil products may be sold in the various zones specified below, with effect from the 2nd January, 1973 as follows:—

ZONE "A"				ZONE "B"		
Haryana, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh (other than the districts/areas specified in zone 'B') Chandigarh and Delhi.				Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, the districts of Almora, Chamoli Garhwal, Pithoragarh, Tehri Garhwal and Uttar Kashi and the hilly areas of the districts of Dehra Dun and Nainital in Uttar Pradesh.		
By producer (Rs.)	By wholesaler (Rs.)	By retailer (Rs.)	By producer (Rs.)	By wholesaler (Rs.)	By retailer (Rs.)	
(a) In tin containers						
(Net capacity, in kilograms)						
16.5	95.11	101.10	102.75	97.48	103.59	105.24
15.0*	86.94	92.41	93.91	89.10	94.68	96.18
4.0	25.02	26.58	26.98	25.60	27.19	27.59
2.0	13.00	13.80	14.00	13.28	14.00	14.30
(b) In high-density polythene containers						
(Net capacity, in Kilograms,						
2.0	12.84	13.63	13.83	13.12	13.93	14.13
1.0	6.85	7.26	7.36	6.99	7.41	7.51
(c) In returnable galvanised-steel drums						
Per kilogram, net						
(i) Aerated*	5.72	6.08	..	5.87	6.23	..
(ii) Non-aerated	5.70	6.06	..	5.85	6.21	..
(d) Loose, in small quantities						
Per kilogram, net						
..	..	6.21	..	..	..	6.36
ZONE "C"				ZONE "D"		
Andhra Pradesh, Kerala, Mysore, Tamil Nadu, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands and Pondicherry.				Bihar, Orissa and West Bengal		
By producer (Rs.)	By wholesaler (Rs.)	By retailer (Rs.)	By producer (Rs.)	By wholesaler (Rs.)	By retailer (Rs.)	
(a) In tin containers						
(net capacity, in kilograms)						
16.5	92.52	98.38	100.03	95.48	101.49	103.14
15.0*	84.58	89.94	91.44	87.28	92.77	94.27
4.0	24.40	25.92	26.32	25.12	26.68	27.08
2.0	12.68	13.47	13.67	13.04	13.84	14.04
(b) In high density polythene containers						
(Net capacity, in kilograms)						
2.0	12.52	13.30	13.50	12.87	13.67	13.87
1.0	6.68	7.09	7.19	6.87	7.28	7.38
(c) In returnable galvanised-steel drums						
Per kilogram, net						
(i) Aerated*	5.56	5.91	..	5.74	6.10	..
(ii) Non-aerated	5.54	5.89	..	5.72	6.08	..
(d) Loose, in small quantities						
Per kilogram, net						
..	..	6.04	..	..	..	6.23

ZONE "E"			ZONE "F"		
Assam, Meghalaya, Nagaland, Tripura, Andaman & Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Manipur and Mizoram			Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa and Nagar Haveli and Goa, Daman and Diu		
By producer (Rs.)	By wholesaler (Rs.)	By retailer (Rs.)	By producer (Rs.)	By wholesaler (Rs.)	By retailer (Rs.)
<i>(a) In tin containers</i> (Net capacity, in kilograms)					
16.5	97.24	103.24	92.59	59.62	101.57
15.0*	88.88	94.45	85.91	91.33	92.83
4.0	25.55	27.13	24.76	26.30	26.70
2.0	13.25	14.07	12.85	13.65	13.85
<i>(b) In high-density polythene containers</i> (Net capacity, in kilograms)					
2.0	13.09	13.90	12.69	13.48	13.68
1.0	6.97	7.39	6.77	7.18	7.29
<i>(c) In returnable galvanised steel drums</i>					
Per kilogram, net					
(i) Aerated*	5.85	6.21	5.65	6.00	..
(ii) Non-aerated	5.83	6.19	5.63	5.98	..
<i>(d) Loose in small quantities</i> Per kilogram, net					
		6.34	..	..	6.14

NOTE.—

- (1) (*) Aerated quality—manufactured under special permission.
- (2) The price limits for sale by producer specified above are inclusive of freight but exclusive of excise duty, sales tax, octroi terminal tax and other local taxes.
- (3) The price limits for sale by wholesaler and by retailer specified above are inclusive of freight and excise duty, but exclusive of sales tax, octroi, terminal tax and similar other local taxes.

Explanation.—

In this notification,

- (i) "retailer" means a dealer who sells not more than 16.5 kgs of vegetable oil products to any one consumer at a time.
- (ii) "wholesaler" means a dealer who sells vegetable oil product
 - (a) to a retailer in any quantity, or
 - (b) to a consumer exceeding 16.5 kgs. at a time

[No. 12-2/72-C&P]

F. G. T. MENZIES,

Director (Vanaspati.)

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी 1973

का० आ० 7(अ).—प्रत. से, एफ० जी० टी० मैनेजिज, वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश 1947 के खंड 2 के उपखंड (क) के अधीन उक्त आदेश की नियंत्रक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भारत के वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

अतः अब भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य और कृषि मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 882 तारीख 24 मिनम्बर 1958 के साथ पठित वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 के खंड 6 के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के कृषि

मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 698 (अ) तारीख 9-10-1972 को अधिष्ठात करते हुए, मैं एतद्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति से, अधिकतम कीमतें जिन पर वनस्पति तेल उत्पादों की नीचे विनिर्दिष्ट विभिन्न जोनों में 2-1-1973 से विक्रय किया जा सकेगा, निम्न-लिखित रूप में नियत करता हूँ :—

जोन 'क'			जोन 'ख'		
हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश (जोन 'ख' में दिए गए जिलों तथा उत्तरप्रदेश के अलमोड़ा, तथा क्षेत्रों के अतिरिक्त), चंडीगढ़			हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर प्रदेश (जोन 'ख' में दिए गए जिलों तथा उत्तरप्रदेश के अलमोड़ा, तथा क्षेत्रों के अतिरिक्त), चंडीगढ़		
चमोली, गढ़वाल, पिथौरागढ़, और दिल्ली।			टेरी गढ़वाल और उत्तर काशी जिले, तथा देहरादून और नैनीताल जिलों के पर्वतीय क्षेत्र।		
उत्पादक द्वारा	थोक-विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा	उत्पादक द्वारा	थोक-विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा
(रु०)	(रु०)	(रु०)	(रु०)	(रु०)	(रु०)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(क) टिन के आधामों में					
(किलोग्रामों में शुद्ध धारिता)					
16.5	95.11	101.10	102.75	97.48	103.59
15.0*	86.94	92.41	93.91	89.10	94.68
4.0	25.02	26.58	26.98	25.60	27.19
2.0	13.00	13.80	14.00	13.28	14.10
(ख) उच्च घनत्व के पालिथीन के आधामों में					
(किलोग्रामों में शुद्ध धारिता)					
2.0	12.84	13.63	13.83	13.12	13.93
1.0	6.85	7.26	7.36	6.99	7.41
(ग) लौटाए जाने योग्य जस्तेदार इस्पात के ड्रमों में					
प्रति किलोग्राम, शुद्ध					
(i) वातित	5.72	6.08	—	5.87	6.23
(ii) अवैतित	5.70	6.06	—	5.85	6.21
(घ) खुला, थोड़ी मात्रा में					
प्रति किलोग्राम, शुद्ध					
—	—	6.21	—	—	6.36

जोन 'ग'

जोन 'घ'

छात्र प्रदेश, केरल, मैसूर, तमिल-
माडु, लकाद्वीप; मिनिकाय और
अमीन-द्वीपी द्वीप समूह और पाहि-
चेरी ।

उत्पादक द्वारा (रु०)	थोक विक्रेता द्वारा (रु०)	फुटकर विक्रेता द्वारा (रु०)	उत्पादक द्वारा (रु०)	थोक विक्रेता द्वारा (रु०)	फुटकर विक्रेता द्वारा (रु०)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(क) टिन के छाधानों में
(किलोग्रामों में
शुद्ध धारिता)

16.5 .	92.52	98.38	100.03	95.48	1801.49	103.14
15.0* .	84.58	89.94	91.44	87.28	92.77	94.27
4.0 .	24.40	25.92	26.32	25.12	26.68	27.08
2.0 .	12.68	13.47	13.67	13.04	13.84	14.04

(ख) उच्च घनत्व के पालीथीन के छाधानों में
(किलोग्रामों में
शुद्ध धारिता)

2.0 .	12.52	13.30	13.50	12.87	13.67	13.87
1.0 .	6.68	7.09	7.19	6.87	7.28	7.38

(ग) लोटाए जाने योग्य जस्तेदार इस्पात के ड्रमों में
प्रति किलोग्राम,
शुद्ध

(i) वातित	5.56	5.91	—	5.74	6.10	—
(ii) अवातित	5.54	5.89	—	5.72	6.08	—

(घ) खुला थोड़ी मात्रा में
प्रति किलोग्राम,
शुद्ध

—	—	6.04	—	—	6.23
---	---	------	---	---	------

जोन 'ड'			जोन 'च'		
असम, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, तथा मिजोराम ।			गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, वावरा और नगर हवेली तथा गोवा, दमन और दीव ।		
उत्पादक द्वारा (रु०)	थोक-विक्रेता द्वारा (रु०)	फुटकर विक्रेता द्वारा (रु०)	उत्पादक द्वारा (रु०)	थोक-विक्रेता द्वारा (रु०)	फुटकर विक्रेता द्वारा (रु०)
(क) टिन के आधानों में (किलोग्रामों में शुद्ध धारिता)					
16.5	97.24	103.34	104.99	93.99	99.92
15.0*	88.88	94.45	95.95	85.91	91.33
4.0	25.55	27.13	27.53	24.76	26.30
2.0	13.25	14.07	14.27	12.85	13.65
(ख) उच्च घनत्व के पोलिथीन के आधानों में (किलोग्रामों में शुद्ध धारिता)					
2.0	13.09	13.90	14.10	12.69	13.48
1.0	6.97	7.39	7.49	6.77	7.18
(ग) लौटाए जाने योग्य जस्तेदार इस्पात के ड्रमों में प्रति किलोग्राम शुद्ध					
(i) वानित	5.85	6.21	—	5.65	6.00
(ii) अवानित	5.83	6.19	—	5.63	5.98
(घ) खुला थोड़ी मात्रा में प्रति किलोग्राम शुद्ध					
—	—	6.34	—	—	6.14

टिप्पण —

- (1) (*) वानित क्वालिटी—विशेष अनुज्ञा के अधीन विनिर्मित ।
- (2) उत्पादक द्वारा विक्रय के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट कीमन सीमाओं में दुलाई सम्मिलित है किन्तु उन में उत्पाद शुल्क, विक्रय-कर, चुंगी, सीमा कर और ऐसे ही अन्य स्थानीय कर सम्मिलित नहीं है ।

- (3) थोक विक्रेता द्वारा और फुटकर विक्रेता द्वारा विक्रय के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट कीमत सीमाओं में डुलाई और उत्पाद शुल्क सम्मिलित हैं किन्तु विक्रय कर, चुंगी, सीमा कर और ऐसे ही अन्य स्थानीय कर सम्मिलित नहीं हैं।

स्पष्टीकरण :—

- (i) फुटकर विक्रेता से ऐसा व्यवहारी अभिप्रेत है जो किसी एक उपभोक्ता को एक समय में 16.5 किलोग्राम से अधिक वनस्पति तेल उत्पाद विक्रय नहीं करता है।
- (ii) “थोक विक्रेता” से ऐसा व्यवहारी अभिप्रेत है जो,
- (क) किसी फुटकर विक्रेता को किसी मात्रा में, या
- (ख) किसी उपभोक्ता को एक समय में 16.5 किलोग्राम से अधिक वनस्पति तेल उत्पाद विक्रय करता है।

[सं० 12-2/72-सी० तथा पी०]

एफ० जी० टी० मैनेज़िज़,
निदेशक (वनस्पति)।

